

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

- (1) प्रकरण संख्या: 09/2017
(2) दायरा दिनांक: 05.9.2017

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरौही

बनाम

गैरसायल

विक्रम कुमार पुत्र ओटाराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- कालन्त्री, पुलिस थाना- कालन्त्री, जिला- सिरौही

“इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975”

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल एवं गैरसायल के अधिवक्ता श्री हुनरसिंह देवडा

-: निर्णय :-

दिनांक 21 मार्च, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा गैरसायल विक्रम कुमार पुत्र ओटाराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- कालन्त्री के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है एवं जुआं के अपराध करने का आदि है। जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खेलाता रहता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। गैरसायल का जुआ खेलेने व खिलाने से आम लोगों व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु लोग तैयार नहीं होते हैं। गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलते पकड़ा जाने पर पुलिस थाना कालन्त्री में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 2 प्रकरण दर्ज हुये हैं तथा इन दोनों प्रकरणों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया है। गैरसायल जुआं खेलने में लिप्त है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है जो आदतन जुआं खेलने व आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित करने से आम जनता में भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(बी)3(सी) में वर्णित अपराध करने का आदि है और मौजूदा समय में ऐसे अपराध करने में लिप्त है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कानूनी सलूक फरमाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति भी तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 27.9.2017 को गैरसायल इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री

.....पेज दो पर

जाति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.



लुनसिंह देवडा उपस्थित हुये। दिनांक 27.9.2017 को गैरसायल ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनवीक्षा चाही। तत्पश्चात् प्रकरण नियत सुनवाई दिनांक 21.3.2018 को गैरसायल ने उपस्थित होकर आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र कर प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकार कर लिये जाने से सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत पुलिस थाना कालन्त्री में 2 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये एवं इन दोनों प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है। इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कई गरीब परिवार अपनी जमा पूंजी जुएँ में गवा चुके हैं। गैरसायल के ऐसे आपराधिक कृत्यों से आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते हैं, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है। गैरसायल ने जुआं के उक्त दोनों मुकदमों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने, मारपीट करने, लोगों को धमकाने आदि कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुये हैं, केवल गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलने के उक्त तीनों मुकदमे ही दर्ज हुये हैं जिनमें गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं। गैरसायल बिगत दो वर्षों से किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। गैरसायल वर्तमान में मजदूरी कर शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल विक्रम कुमार पुत्र ओटाराम जी, जाति-मेघवाल, निवासी- कालन्त्री के विरुद्ध पुलिस थाना, कालन्त्री में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 113/7.11.2015 व 132/17.12.15 को दर्ज हुये जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं। धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त दोनों मुकदमों में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, इन आरोप पत्रों की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त मुकदमा संख्या 113/7.11.2015 व 132/17.12.15 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 30.11.15 व 03.8.2016 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है।

.....पेज तीन पर

प्रति, जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही -307001.



इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 17.12.2015 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। गैरसायल द्वारा लोगों को धमकाने व आतंकित करने के संबंध में भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध शांतिभंग करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई हो, ऐसी भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए गैरसायल विक्रम कुमार पुत्र ओटाराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- कालन्दी को छः माह की अवधि के लिये नेकचलनी व शांति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर आदेशित किया जाता है कि गैरसायल एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा गैरसायल भविष्य में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निर्बन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत रुपये पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(आशाराम खूडी)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरौही